आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

न्यायालय आरबीट्रेटर–सह–अपर समाहर्त्ता, पटना

विवाचन वाद सं०–34/2015

श्रीमति सरिता सिन्हा बनाम परियोजना निदेशक NHAI वो अन्य

आदेश

25/6/18

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्रीमति सरिता सिन्हा पति राजू कुमार सिन्हा, साकिन–फ्लैट नं० ई/4, राम लखन इनक्लेभ, बुद्धा कॉलनी, पटना द्वारा परियोजना–एन०एच०–83 पटना–गया–डोभी फोरलेन अन्तर्गत LA Case No-49/2013-14 मौजा–सुईथा, थाना नं०–86, खाता सं०–529, खेसरा सं०–2894, रकवा 0.355824 एकड़ अर्जनाधीन भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लेने के पश्चात् प्राप्त मुआवजा से असंतुष्ट होने के कारण दायर वाद के आलोक में प्रारंभ की गई।

प्रस्तुत वाद से संबंधित भूमि का अर्जन की कार्यवाही निम्न प्रकार से की गई है:–

1. NH Act की धारा 3A– के तहत अधिसूचना–01.04.2013
2. NH Act की धारा 3A के तहत अधिसूचना का पेपर प्रकाशन–19.06.2013 एवं 26.06.2013
3. NH Act की धारा 3D के तहत अधिघोषणा–27.12.2013
4. NH Act की धारा 3(D)के तहत अधिघोषणा का पेपर प्रकाशन–23.01.14
5. निर्धारित/स्वीकृत दर मो०–1,25,00,000.00 रूपये प्रति एकड़
6. NH Act की धारा 3जी के तहत प्राक्कलन की स्वीकृति की तिथि–30.09.2014
7. दखल–कब्जा की तिथि–09.04.2015

वादिनी द्वारा दायर अपने वाद में कहा गया है कि उनकी भूमि व्यवसायिक प्रकृति की है जिसका मूल्य कम से कम मो०–7,00,000.00 रूपये प्रति डीसमील होना चाहिए जबकि सक्षम प्राधिकारी–सह– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि की प्रकृति कृषि मानकर दर निर्धारण की कार्रवाई करते हुए मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की गई। साथ ही वादिनी द्वारा 60% सांत्वना राशि नही दिए जाने के बिन्दु पर भी विरोध प्रकट किया गया है। वादिनी द्वारा आवेदन में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी–सह– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा वगैर स्थल जॉच के मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जिसमें उनकी भूमि की गुणवता को नजरंदाज कर दिया गया है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

सक्षम प्राधिकार सह जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के दिनांक–04.05.18 के प्रतिवेदन से परिलक्षित है कि अर्जित की गई भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु निर्धारित प्रकृति का निर्धारण राजस्व विभागीय पत्रांक–1212/रा०, दिनांक–01.08.2018 एवं 1002/रा० दिए गए सरकारी निदेश के आलोक में समाहर्त्ता, पटना की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति द्वारा अनुशंसित प्रकृति के आधार पर दर का निर्धारण किया गया है जिसमें किसी प्रकार के सरकारी आदेश का अवहेलना परिदर्शित नही होता है। विभागीय निदेश के आलोक में 3A प्रकाशन के 21 दिनों के अन्दर स्वेच्छा से भूमि देने का शपथ पत्र देने वाले रैयतों को 60% सान्तवना राशि तथा स्वेच्छा शपथ पत्र निर्धारित तिथि के अन्दर नही देने वाले रैयतों को 30% सान्तवना राशि देने का प्रावधान है। वादिनी द्वारा अपने वाद आवेदन के साथ ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वादिनी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत स्वेच्छा से भूमि देने का शपथ पत्र समर्पित किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि दर एवं मुआवजा राशि की गणना सरकारी नियामानुसार करते हुए ही सक्षम प्राधिकारी–सह–जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की गई है। वादिनी ने निर्धारित दर मो०–1,25,00,000.00 रूपये प्रति एकड़ पर 50% अतिरिक्त राशि 30% सान्तवना राशि एवं 12% अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के साथ वादिनी को खेसरा सं०–2894 में उनके अंश रकवा–0.35582 एकड़ का मो०–94,73,707.00 रूपये मात्र का भुगतान दिनांक–09.06.2015 को किया जा चुका है।

सुनवाई के क्रम में वादिनी लगातार अनुपस्थित है। इससे प्रतीत होता है कि उन्हे इस वाद में और कुछ नही कहना है उनका उद्देश्य वाद दायर करना ही मात्र था तथा उन्हे प्रस्तुत वाद में कोई अभिरूचि नही रह गई है।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

30/6/18

आरबीट्रेटर
–सह–
अपर समाहर्त्ता, पटना।